प्रेस नोट–

थाना-सीपरी बाजार, जनपद-झाँसी

दिनांक– 04.06.2026

- **जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,**
- **थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने के अभियोग में वाँछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **गिरफ्तार अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार में निरुद्ध किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 03.06.2026 को थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा थाना स्तानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 255/2026 धारा 85/108 BNS से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्तगण 1. लोकेन्द्र सिंह उम्र करीब 38 बर्ष, 2. विपेन्द्र सिंह उर्फ गोलू यादव उम्र 33 बर्ष पुत्रगण महेन्द्र सिंह निवासीगण सिद्धेश्वरनगर आईटीआई थाना-सीपरी बाजार, जिला-झाँसी को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार भेजा गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 02.06.2026 को वादी श्री देवी शरण यादव पुत्र स्व0 नाथूराम निवासी गायत्री नगर थाना गरौठा जिला झाँसी द्वारा तहरीर किया कि उसकी पुत्री श्रीमती अन्नू उम्र 35 साल का विवाह लोकेन्द्र सिंह यादव पुत्र महेन्द्र सिंह से दिनांक 13.03.2019 को ऋषभ होटल झांसी से हुई थी एवं उक्त शादी के पूर्व व ससुरालजनों की मांग के अनुसार 10,00,000/- रूपये नकद व तीन लाख रूपये का गृहस्थी का सामान व तीन लाख रूपये के सोने चांदी के जेवरात देकर उक्त विवाह लगभग बीस लाख रूपये खर्च करके किया था परन्तु पुत्री के ससुरालीजन विवाह के समय दिये गये दान दहेज से खुश नही रहते थे एवं विवाह के उपरान्त कई वर्षों से अवैध रूपयों की मांग करते थे। ससुरालीजन द्वारा पुत्री पर अवैध दहेज की माँग को लेकर अवैध रूप से पांच लाख रूपये की मांग करते थे व कहते थे कि रुपया लेकर आओ तभी लोकेन्द्र सिंह व्यापार कर पायेगा और तभी हम लोग खुश रखेंगे जबकि मैंने अपने रिश्तेदारों के साथ जाकर कई बार ससुरालीजनों को समझाने का प्रयास किया था किन्तु ये लोग नहीं माने और उसकी पुत्री को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करके और दहेज की पांच लाख रूपये की मांग करते थे तथा पुत्री अन्नू को आये दिन मारपीट कर प्रताड़ित करते थे। इसी प्रताड़ना के चलते दिनांक 01.06.26 को वादी की पुत्री अन्नू ने रात में कमरे के अन्दर फाँसी लगाकर आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 02.06.2026 को थाना सीपरी बाजार पर मु0अ0सं0 255/2026 धारा 85/108 बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। विवेचना से संकलित साक्ष्य के आधार पर नामजद अभियुक्तगण 1. लोकेन्द्र सिंह उम्र करीब 38 बर्ष, 2. विपेन्द्र सिंह उर्फ गोलू यादव उम्र 33 बर्ष पुत्र गण महेन्द्र सिंह निवासीगण सिद्धेश्वरनगर आईटीआई थाना-सीपरी बाजार, जिला-झांसी को दिनांक

03.06.2026 को मुहल्ला सिद्धेश्वरनगर आईटीआई थाना क्षेत्र सीपरी बाजार, झांसी को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार भेजा गया।

<u>नाम पता अभियुक्तगण –</u>

1. लोकेन्द्र सिंह उम्र 38 वर्ष पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी सिद्धेश्वरनगर आईटीआई थाना-सीपरी बाजार, जिला-झांसी,
2. विपेन्द्र सिंह उर्फ गोलू यादव उम्र 33 वर्ष पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी सिद्धेश्वरनगर आईटीआई थाना-सीपरी बाजार, जिला-झांसी।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –</u>

1. प्र0नि0 जय प्रकाश चौबे, थाना सीपरी बाजार, झाँसी।
3. उ0नि0 श्री ब्रजेश कुमार साहू, चौकी प्रभारी लहरगिर्द, थाना सीपरी बाजार, झाँसी।
4. हे0का0 108 अवधेश कुमार,